



District Institute of Education and Training Rohtas, Sasaram

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रोहतास, सासाराम

Email Id- dietsmrohtas@gmail.com Website- www.dietsasaram.in

नामांकन संबंधी सूचना

पत्रांक-249 दिनांक-23.10.2021

डी0 एल0 एड0 सत्र-2021-2023 मे नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थियों की द्वितीय चयन सूची संस्थान के सूचना-पट्ट के साथ-साथ संस्थान के वेबसाईट पर प्रकाशित की जा चुकी है। चयनित अभ्यर्थी दिनांक 25.10.2021, 26.10.2021, 27.10.2021 एवं 28.10.2021 को संस्थान/ कार्यालय अवधि में वांछित अभिलेखों एवं विहित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट (जो Principal DIET Rohtas Sasaram के नाम से एवं Payble at Sasaram में हो) के साथ उपस्थित होकर कोविड एस0 ओ0 पी0 का अनुपालन करते हुए नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। अंतिम तिथि तक उपस्थित नहीं होने पर आपका अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

नोट- नामांकन के समय जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं प्रपत्रों की सूची संस्थान के सूचना पट्ट एवं संस्थान के वेबसाईट पर प्रदर्शित है।

प्रभारी प्राचार्य,

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,

रोहतास, सासाराम।
23/10/21

नोटरी-शपथपत्र

समक्ष,

प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
रोहतास, सासाराम।



नाम.....

पिता.....

जन्म तिथि

ग्राम.....मु०.....पो०.....

जिला.....बिहार को निवासी हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता/कहती हूँ कि मेरी
शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित हैं-

क्र०	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	सत्र/ उत्तीर्ण वर्ष	रोल नं०	रोल कोड	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	मैट्रिक/ समकक्ष							
2	इंटरमीडिएट/ समकक्ष							

1. यह कि मेरा नामांकन औपबंधिक है। प्रमाण पत्र में कोई भी कमी या त्रुटि होने की दशा में मेरा नामांकन रद्द किया जा सकता है।
2. यह कि नामांकन के समय मैं अपने सभी नामांकन संबंधी दास्तवेज की मूल प्रति प्रस्तुत कर रहा हूँ/रही हूँ। जो मेरे जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है तथा जाँचोपरान्त गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
3. यह कि महाविद्यालय के ड्रेस कोड एवं छात्रावास नियम का अनुपालन करूँगा/करूँगी।
4. यह कि लगातार 15 दिन तक बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर नामांकन रद्द करने का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। जिसका मैं विरोध नहीं करूँगा/करूँगी।
5. यह कि मैं 85 प्रतिशत उपस्थित अनिवार्य रूप से रहूँगा/रहूँगी। इससे कम उपस्थित रहने पर परीक्षा फार्म नहीं भरने देने का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। जिस पर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
6. यह कि समय-समय पर संस्थान के द्वारा जारी नियमों एवं आदेशों का मैं पालन करूँगा/करूँगी।
7. यह कि मेरा किसी भी अन्य शैक्षणिक संस्थान के चालू सत्र (2021-23)में नामांकन नहीं है। दोहरा नामांकन पाये जाने पर संस्थान द्वारा मेरा नामांकन रद्द कर दिया जाए तथा मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाई की जा सकती है।
8. यह कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
9. यह कि प्रशिक्षण काल के दौरान किसी भी प्रकार की रैगिंग गतिविधि में प्रतिभाग नहीं करूँगा/करूँगी।

शपथकर्ता नाम एवं हस्ताक्षर

.....
दिनांक.....



District Institute of Education and Training Rohtas, Sasaram

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रोहतास, सासाराम

Email Id- dietssmrohtas@gmail.com Website- www.dietsasaram.in

डी0 एल0 एड0 सत्र 2021-23 में नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थियों के लिए
महत्वपूर्ण निर्देश

- 1 नामांकन के समय संस्थान के सूचनापट्ट एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची के अनुरूप सभी प्रमाण पत्र/प्रपत्र जमा करना अनिवार्य है।
 - 2 विहित नामांकन शुल्क का बैंक डाफ्ट बनवाने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि—
 - (क) अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2021 को 17 वर्ष से कम नहीं हों।
 - (ख) अभ्यर्थी की इंटर परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि 01.01.2021 तक या इससे पूर्व।
 - 3 उपरोक्त कंडिका 2(क), 2(ख) एवं 2 (ग) की अर्हता धारित नहीं करने वाले अभ्यर्थी नामांकन के पात्र नहीं होंगे।
- नोट:—डी0एल0एड0 में नामांकन हेतु संस्थान आने वाले सभी छात्र/छात्राएं सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के नवीनतम दिशा निर्देश का पालन करना सुनिश्चित करेंगे/करेंगी।

आदेशानुसार
प्रभारी प्राचार्य,
डायट, रोहतास, सासाराम।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रोहतास, सासाराम

जॉच-पत्रक

डी0 एल0 एड0 सत्र 2021-23 के अभ्यर्थी द्वारा नामांकन के समय जमा किये जाने वाले

मूल प्रमाण-पत्रों की सूची-

1. ऑनलाईन फॉर्म की प्रिंट कॉपी।
2. मैट्रिक/समकक्ष का मूल अंक पत्र।
3. मैट्रिक मूल प्रमाण-पत्र/औपबंधिक प्रमाण पत्र।
4. मूल अंक पत्र इन्टर/समकक्ष।
5. मूल प्रमाण-पत्र/औपबंधिक प्रमाण- पत्र इन्टर/ समकक्ष।
6. CBSE/ICSE बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए माइग्रेसन सह स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।
7. अंतिम विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र अति आवश्यक।
8. निवास प्रमाण-पत्र।
9. आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन प्रमाण-पत्र/नान क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र।
10. दिव्यांगता प्रमाण -
11. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन EWS प्रमाण पत्र-
12. फोटो (पासपोर्ट साइज)- तीन।
13. आधार कार्ड की छाया प्रति।
14. नामांकन शुल्क/ बैंक ड्राफ्ट-
Gen/EWS/BC/EBC/(महिला) । SC/ST/दिव्यांग
15. शपथ पत्र।

नोट:- उपरोक्त सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ दो अलग-अलग बन्द फाइलों (जिनके उपर मूल प्रति एवं छाया प्रति अंकित हो) में जमा की जानी है।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं तिथि

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर